मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ–52/1/10/यो/19 / 4656 भोपाल दिनांक 3/9/2011

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
समस्त मुख्य अभियंता
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश

विषयः अनुबंध की कंडिका 14 के अंतर्गत निर्णय लिये जाने बाबत।

संदर्भः म0प्र0 शासन लो0नि0वि0 का पत्र क्रमांक एफ–52/1/10/यो/19–49 भोपाल दिनांक 03/04.01.2011

–0–

शासन के संदर्भित पत्र द्वारा अनुबंधों में धारा 14 से संबंधित कार्यवाही का निर्णय शासन स्तर पर किया जाना आदेशित किया गया था। लोक निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान, प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं द्वारा अनुबंध को कंडिका 14 के अंतर्गत बन्द करने का निर्णय शासन स्तर पर होने के कारण व्यवहारिक कठिनाईयों से अवगत कराया गया है।

राज्य शासन द्वारा इस प्रकरण में समस्त विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि विभाग द्वारा संदर्भित आदेश को संशोधित करते हुये रू0 5 करोड अनुबंधित लागत तक के समस्त कार्यो के अनुबंधों को धारा 14 के अंतर्गत विखण्डित करने का निर्णय लेने के लिये संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को अधिकृत किया जाता है। इसी प्रकार रू0 5 करोड से अधिक एवं रू0 10 करोड अनुबंधित लागत तक के कार्यो के अनुबंधों को धारा 14 में विखण्डित करने का निर्णय के लिए प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया जाता है। रू0 10 करोड से अधिक अनुबंधित लागत के कार्यो को धारा 14 में विखण्डित करने के निर्णय हेतु संपूर्ण प्रकरण उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किये जावेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

सहपत्रः शून्य

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक एफ–52/1/10/यो/19 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लो0नि0वि0 भोपाल।
4. निज सहायक, सचिव, म0प्र0 शासन लो0नि0वि0 भोपाल।
5. निज सहायक, अपर सचिव, म0प्र0 शासन लो0नि0वि0 भोपाल।

की ओर सूचनार्थ।

सहपत्रः शून्य

सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

Desktop/Sanjay/Addl Secy/Order 2